



उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उ0प्र0 सरकार का उपक्रम)

U.P.Power Corporation Limited
(Govt. of Uttar Pradesh Undertaking)

CIN : U32201UP1999SGC024928

शक्ति भवन विस्तार, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

संख्या:-2640-औसं-17/पाकालि/2022-11(01)ए0एस0/09 (23-24)

दिनांक: 15 जून, 2023

विषय :- उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों की मान्यता अवधि बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में।

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 द्वारा पूर्व मान्यता प्राप्त निजी चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता पूर्ववत् कारपोरेशन द्वारा निर्धारित प्रतिबन्धों/शर्तों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन कारपोरेशन के आदेश सं0-4452-औसं-17/पाकालि/02, दिनांक 09.12.2002 एवम् आदेश संख्या-3593-औसं-17/पाकालि/2003, दिनांक 21.07.03 तथा कार्यालय ज्ञाप संख्या-3330-औसं/2018-11(28)ए0एस0/2004 (VOL-2015/CGHS) दिनांक 08 अगस्त, 2018 में निहित प्राविधानों/मानकों एवम् अनुमोदित चिकित्सा दरों के अधीन मान्यता प्राप्त चिकित्सालयों को दी गयी मान्यता सम्बन्धी भिन्न-भिन्न आदेशों के अनुक्रम में निम्नलिखित चिकित्सालयों/चिकित्सा संस्थानों की मान्यता एतद्वारा उनको दी गयी पूर्व मान्यता अवधि से निरन्तरता प्रदान करते हुए दिनांक 30.04.2024 तक निम्न प्रतिबन्धाधीन बढ़ायी जाती है :-

क्रम सं0	चिकित्सालय का नाम एवं जनपद	मान्यता की अन्तिम प्रभावी तिथि
1	अजन्ता हॉस्पिटल एण्ड आई0वी0एफ0 सेण्टर प्राईवेट लिमिटेड, 765 ए0बी0सी0 काम्प्लेक्स, कानपुर रोड, आलमबाग, लखनऊ।	30.04.2024
2	प्रकाश नेत्र केन्द्र, एन0एच0-2, विपुल खण्ड-4, गोमतीनगर, लखनऊ। (एकल विशिष्टता)	30.04.2024
3	मेट्रो हॉस्पिटल एण्ड हार्ट सेण्टर, 47/ जी-5, बाउन्ड्री रोड, लालकुर्ती, मेरठ। (हृदय के क्रेडिट उपचार एवं सामान्य चिकित्सा हेतु)	30.04.2024
4	चाँदनी हॉस्पिटल, 9/60 आर्यनगर, कानपुर।	30.04.2024
5	रॉयल कैंसर इन्स्टीट्यूट एण्ड रिसर्च सेण्टर 113/103-ए, स्वरूप नगर अपोजिट मोतीझील, कानपुर। (कैंसर रोग के उपचार हेतु एकल विशिष्टता)	30.04.2024
6	जे0पी0 हॉस्पिटल (ए यूनिट ऑफ जे0पी0 हेल्थकेयर लि0), सेक्टर-128, नोयडा (गौतमबुद्धनगर)।	30.04.2024

- उपर्युक्त चिकित्सालयों को जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी/सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत वैध पंजीयन प्रमाण-पत्र यदि उनको प्रदान की गई मान्यता अवधि से पूर्व समाप्त हो जाता है या समाप्त कर दिया जाता है, तो उस चिकित्सालय की मान्यता समाप्त हो जायेगी।
- कारपोरेशन के प्रबन्धन को यह अधिकार होगा कि मान्यता अवधि से पूर्व कभी भी चिकित्सालय की मान्यता बिना कोई पूर्व सूचना व कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

Prunat

क्रमशः 2/-

3. सूची में उल्लिखित अन्तः रोगी के रूप में कराये गये उपचार हेतु मान्यता प्राप्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान वाह्य रोगी के रूप में गम्भीर रोगों हेतु लम्बी अवधि तक चलने वाली बीमारियों का उपचार कराने हेतु भी मान्य होंगे। वाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के सम्बन्ध में कारपोरेशन के कार्यालय ज्ञाप सं०-2335-औ०सं०-17/पाकालि/2020 दिनांक 27.08.2020 द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तें यथावत् रहेंगी।
4. उक्त समस्त चिकित्सालय एवं चिकित्सा संस्थान उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० के साथ-साथ उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०/उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं उ०प्र० जल विद्युत निगम लि० के कार्मिकों/पेंशनरों एवं उन पर पूर्णतः आश्रित परिजनों के उपचार हेतु भी अधिकृत होंगे।
5. सूचीबद्ध किसी भी चिकित्सालय के प्रबन्धन द्वारा विभागीय नियमों, प्रतिबन्धों/शर्तों का उल्लंघन करने विभाग द्वारा निर्धारित चिकित्सा दरों से विचलित होने अथवा विभाग द्वारा निर्धारित मानकों/मापदण्डों से अनावरित पाये जाने की दशा में चिकित्सालयों की मान्यता बिना किसी पूर्व सूचना अथवा कारण बताये, समाप्त किये जाने पर विचार किया जा सकता है।

निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०)

संख्या:-2640 (1) औसं-17/पाकालि/2023-तददिनांक :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ से सम्बद्ध निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि०, 8वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव।
4. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल विद्युत निगम लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)/(वितरण)/(वित्त)/(वाणिज्य)/(कारपोरेट प्लानिंग), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक (का०प्र०) उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०/निदेशक (कार्य एवं परियोजना), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
7. प्रबन्ध निदेशक, विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, मध्यांचल, लखनऊ/पूर्वांचल, वाराणसी/पश्चिमांचल, मेरठ/दक्षिणांचल, आगरा एवं केसको, कानपुर।
8. अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग/जॉच समिति उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०।
9. मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त मुख्य अभियन्ता (वितरण), को इस अभ्युक्ति के साथ प्रेषित है कि वे अपने स्तर से उक्त आदेश की प्रति अपने अधीनस्थ सभी अधीक्षण अभियन्ता/अधिशाली अभियन्ता को उपलब्ध करा दें।
11. महाप्रबन्धक (औ०सं०)/उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)/ कार्मिक अधिकारी, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
12. समस्त अपर सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अनु सचिव/मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (लेखा/वित्त/प्रशासन/कारपोरेट टैक्स), उप-मुख्य एवं वरिष्ठ लेखाधिकारी/लेखाधिकारी (वेतन एवं लेखा), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
13. समस्त अनुभाग अधिकारी/निजी सचिव, प्रशासनिक एवं लेखा स्कन्ध, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लिमिटेड।
14. कम्पनी सचिव, पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
15. अधिशाली अभियन्ता (वेब), कक्ष सं०-407, शक्ति भवन विस्तार को कारपोरेशन की वेबसाइट www.uppcl.org-Medical पर अपलोड करने हेतु।
16. महाप्रबन्धक (चिकित्सा), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
17. सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालयों से सम्बन्धित जिला पंजीकरण प्राधिकारी, उ०प्र०।
18. प्रबन्धकगण- सूचीबद्ध समस्त चिकित्सालय।
19. सचिव, विद्युत पेंशनर्स परिषद (उ०प्र०), 103 कीर्ति अपार्टमेंट स्टेशन रोड, लखनऊ।
20. कट फाइल।

भवदीय,

Puneet
(प्रदीप-कुमार) 15/6/23
उप महाप्रबन्धक (औ०सं०)